

निष्पत्ति

अनुमण्डल दण्डाधिकारी का न्यायालय पोड़ाहाट चक्रधरपुर

आदेश फलक

धारा-144 द0प्र0सं0

वाद संख्या 12/2019

विजय सिंह

बनाम

सरदार अजीत सिंह

25-10-19 चूंकि आवेदक के आवेदन/थाना द्वारा प्राप्त अप्राथमिकी संख्या 263/22-10-19

के अवलोकन से मैं संतुष्ट हूँ कि पुर्व पक्ष 0 विजय सिंह द्वितीय पक्ष 0

सरदार अजीत सिंह 0 सरदार अजीत सिंह नीचे वर्णित अनुसूची विवादग्रस्त भूमि आदि के दखल को लेकर शांति भंग

होने की प्रबल सम्भावना है और इसकी रोकथाम तत्काल आवश्यक है। आवेदक के आवेदन से मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु द.प्र.सं. की धारा-144 के तहत कार्यवाही आवश्यक प्रतीत होता है। इसलिए मैं धारा-144 द.प्र.सं. के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उभय पक्षों को विवादग्रस्त भूमि में जाने से और वहाँ किसी प्रकार का विघ्न डालने से सख्त निषेध करता हूँ। निर्देश दिया जाता है कारण-पृच्छा न्यायालय में दिनांक 04-11-19 तक दाखिल करें।

भूमि का विवरण

मौजा	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा	चौहद्दी
------	----------	----------	-----------	------	---------

ward no-8
Bhaji akudar

58 51(c,d,e) 0.04,000 d
on the northern-
Eastern corner

पूर्व N- Chhababa Road
पश्चिमी S-WIZ 1st-Party
उत्तर E-Bhibhisain market
दक्षिण W-WIZ RASTU

Blue
25-10-19

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
पोड़ाहाट चक्रधरपुर
25-10-19

26-12-19. अधिकृत उपलब्धि / उद्योग पत्रों द्वारा वकायात्मक बाधों की
गहने / अधिकांश वकाय अद्य कार्य में चल रहे हैं। अधिकृत
दिनांक 30-12-19 को उपलब्धि करें।

30-12-19. अधिकृत उपलब्धि / उद्योग पत्रों द्वारा वकायात्मक बाधों
की गहने अधिकृत दिनांक 02-01-20 को उपलब्धि करें।

02-01-2020 अधिकृत उपलब्धि / ^{उद्योग} पत्रों के माध्यम से अधिकृत द्वारा वकायात्मक
बाधों की गहने / कालवापति होने के कारण बाधों की कार्रवाई समाप्त
की जाती है।

16/01/2020

Drop due to exceeding
the time period

16/01/2020